भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1455

11 फरवरी, 2020 के लिए प्रश्न

उचित दर दुकानों का कम्प्यूटरीकरण

1455. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी उचित दर की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण करने पर कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो आज की तिथि अनुसार देश में अब तक राज्य-वार और जिले-वार जितनी उचित दर की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण हुआ है का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सभी उचित दर की दुकानों की कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रक्रिया (पीडीएस) के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए गए लाभार्थियों के लिए अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का आवंटन और वितरण करने के काम में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए उचित दर दुकानों के स्वचालन सहित 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण' संबंधी स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। अब तक देश में कुल 5.39 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 4.76 लाख उचित दर दुकानों (88 प्रतिशत) में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरण स्थापित करके उन्हें स्वचालित बना दिया गया है। इस संबंध में विभाग केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर प्रगति की मानीटरिंग करता है, इस प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उचित दर दुकानों की कुल संख्या और स्वचालित बनाई गई उचित दर दुकानों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है। इसके अलावा, कुछ संबंधित राज्यों की शेष उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की स्थापना का काम शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग): फिलहाल सितम्बर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्य राजसहायता का सीधे लाभ (नकद) अंतरण पूर्ण रूप से चण्डीगढ़ और पुद्दुचेरी के दो संघ राज्य क्षेत्रों और मार्च, 2016 से दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा, डीबीटी (नकद) अंतरण स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 11.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीडीएस प्रचालन स्कीम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों (एफपीएस) का स्वचालन		
		कुल एफपीएस	ईपीओएस का प्रचालन	एफपीएस का स्वचालन (%)
1	अंडमान और निकोबार	479	459	96%
2	आंध्र प्रदेश	28,936	28,936	100%
3	अरुणाचल प्रदेश	1,943	25	1%
4	असम	38,237	-	0%
5	बिहार	46,800	42,600	91%
6	चंडीगढ़ (डीबीटी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ़	12,304	11,990	97%
8	दादर और नगर हवेली	63	63	100%
9	दमन और दीव	51	51	100%
10	दिल्ली	2,254	-	0%
11	गोवा	456	456	100%
12	गुजरात	17,210	17,210	100%
13	हरियाणा	9,526	9,526	100%
14	हिमाचल प्रदेश	4,934	4,934	100%
15	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	6,411	6,411	100%
16	झारखंड	25,532	25,532	100%
17	कर्नाटक	19,935	19,759	99%
18	केरल	14,374	14,335	100%
19	लक्षद्वीप	39	39	100%
20	मध्य प्रदेश	24,732	24,619	100%
21	महाराष्ट्र	52,532	52,532	100%
22	मणिपुर	2,682	104	4%
23	मेघालय	4,736	10	0%
24	मिजोरम	1,252	-	0%
25	नागालैंड	1,691	153	9%
26	ओडिशा	12,577	12,577	100%
27	पुदुचेरी (डीबीटी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पंजाब	17,525	17,525	100%
29	राजस्थान	25,682	25,579	100%
30	सिक्किम	1,362	1,352	99%
31	तमिलनाडु	34,776	34,776	100%
32	तेलंगाना	17,170	17,170	100%
33	त्रिपुरा	1,806	1,806	100%
34	उत्तर प्रदेश	80,493	80,493	100%
35	उत्तराखंड	9,908	6,484	65%
36	पश्चिम बंगाल	20,806	19,241	92%
	सारांश	**5,39,214**	**4,76,747**	**88 %**

*****